(viii) यह कि प्रमाण-पत्र धारक अपने कारबार के स्थान पर निम्नलिखित स्थायी अभिलेख बनाये रखेगा:—
(viii) that the holder of the certificate shall maintain the following permanent records at his place of business.

(क) मूल निस्तारण पुंजी के प्रारूप में जिसमें भर्ती किए जाने वाले उत्प्रवासियों से प्रभारों को प्राप्ति का एक रजिस्टर जिस में ऐसे प्रत्येक उत्प्रवासी के हस्ताक्षर होंगे जिनसे प्रभार वसूल किया गया है ऐसा प्रत्येक रजिस्टर भर्ती के लिये की गई मांग के प्रति निर्देश से होगा ।
(a) a Register of receipt of charges from emigrants recruited, in the form of an original acquittance Roll containing the signature of each emigrant from whom the charge has been received. Each such Register shall be with reference to a demand for recruitment.

(ख) नियोजकों से उनकी फोटोस्टेट प्रतियां सहित अभिप्राप्त रकम और पूर्व संदत्त टिकट सलाह के रजिस्टर और अभिलेख मांगवार रखे जायेंगे ।
(b) a Register and record of the amounts and Pre-paid Ticket Advices, alongwith their photo copies received from the employers, identified demand-wise.

(ग) दस्तावेजों द्वारा समर्थित मांगवार उत्प्रवासियों की भर्ती की बाबत उपगत व्ययों का विवरण देने वाला रजिस्टर ।
(c) a Register containing details of expenses incurred on recruitment of emigrants demand-wise supported by documents.

(घ) ऐसे प्रत्येक नियोजक के लिए जिसकी श्रम की मांग के बारे में प्रमाण-पत्र धारक ने कार्यवाही की है, कार्यवाही करने का प्रस्ताव करता है या कार्यवाही कर रहा है, व्यष्टिक फोल्डर ।
(d) individual folders for each employer whose demands of labour, the holder of the certificate has processed, proposed to process or is processing.

(ङ) प्रमाण-पत्र धारक द्वारा भर्ती किए गए प्रत्येक उत्प्रवासी के जीवनवृत्त जिसमें पूर्ण विशिष्टियां जिसके अन्तर्गत उनके निकट संबंधी का नाम, पता, आयु, कौशल अनुभव और नाम और पता भी है, दी जाएगी ।
(e) bio-data (giving full particulars including name, address, age, skill, experience and name and address of next of kin) of each emigrant recruited by the holder of the certificate.

(च) उत्प्रवासी संरक्षक द्वारा यथा अभिप्रमाणित प्रत्येक उत्प्रवासी के नियोजन संविदाओं की प्रतियां ।
(f) copies of employment contracts of each emigrant as authenticated by the Protector of Emigrants.

(छ) मूल मांग, मुख्तारनामा और नियोजकों के साथ पत्र-व्यवहार ।
(g) original demand, power of attorneys and correspondences with the employers.

(ज) उत्प्रवासियों की भर्ती से संबंधित सभी दस्तावेजों जिनके अन्तर्गत जारी किए गए सभी विज्ञापनों साक्षात्कार पत्रों और आवेदकों के साथ पत्र व्यवहारों, मूल, अधिनिर्णय पत्रों जिसके कारण चयन हुआ है, की कार्यालय प्रतियां चयन प्रक्रिया में अंतर्वलित व्यक्तियों के नाम और पते नियुक्ति पत्रों, व्यवसाय परीक्षण संबंधी विशिष्टियों की प्रतियां भी हैं ।
(h) all documents relating to recruitment of emigrants, including office copies of all advertisements issued, letters to interviews and correspondence with the applicants, original award sheets leading to the selection, names and address of persons involved in the selection process, copies of letters of appointments, trade-testing particulars, etc.

(झ) नियोजकों से अभिप्राप्त बीजा का रजिस्टर जिसमें सम्मिलित और व्यष्टिक वीजाओं का अलग लेखा-जोखा होगा ।
(i) a Register of visas received from the employers, giving separate account of block and individual visas.

(ञ) प्रमाण-पत्र धारक द्वारा भर्ती किए गए उत्प्रवासियों या उनके आश्रितों द्वारा क्षति या मृत्यु के लिए प्रतिकर के दावों का एक रजिस्टर जिस में उत्प्रवासी का नाम, पता, उत्प्रवास संख्या, नियोजन देने वाले देश का पता, नाम, यथा स्थिति क्षति या मृत्यु की प्रक्रिया, दुर्घटना की तारीख प्राप्तिकर्ता का नाम और पता नियोजक का नाम और पता और प्रतिकर का संदाय किये जाने के प्रतीकात्मक स्वरूप मूल रसीद लगाई जाएगी ।
(j) a Register of claims for compensation for injury or death made by the emigrants or their dependents, recruited by the holder of the certificate giving the name, address of the emigrant, emigration number, country of employment, nature of injury or death, as the case may be, date of accident, name and address of the recipient, name and address of the employer, and the receipt in original in token of having made the payment of compensation be pasted.

(ट) ऐसे अन्य अभिलेख जो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा बनाए रखे जाने के लिए अपेक्षित हों।
(k) such other recrods as may be required to be maintained by the registering authority.

(ix) यह कि प्रमाण-पत्र धारक अगले मास के दसवें दिन तक प्ररूप 4 में पूर्ववर्ती मांग की विवरणी देगा ।
(ix) that the holder of the certificate shall furnish return of the preceding month in Form IV by the 10th of the succeeding month.

(x) यह कि उत्प्रवासियों की भर्ती के लिए विज्ञापनों की प्रतियां उत्प्रवासी संरक्षक के पास फाइल की जाएंगी।
(x) that copies of advertisements for recruitments of the emigrants shall be filed with the Protector of Emigrants; and

(xi) मैं यह कि भर्ती अभिकर्ता उत्प्रवासी से संप्रत्यावर्तन व्ययों को प्रभावित नहीं करेगा ।
(xi) that recruiting agent shall not charge the repatriation expenses from the emigrant.

(Jagadananda Panda)
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
के हस्ताक्षर नाम और मोहर
Signature, name and seal of the Registering Authority
Protector General of Emigrants/
Registering Authority

Protector General of Emigrants,
Ministry of Overseas Indian Affairs,
Government of India,
New Delhi

तारीख और स्थान : 08/11/2008
Date and Place :

MGIPMRND—M—3 Lab.—8-1-1998—3,000.